



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940

No. 282]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. वी-33(13)4/2009-स्था. IV.— क.रा.बी. (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा दिल्ली क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः—

क्रम सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अंतर्गत
1	श्रम मंत्री, जी.एन.सी.टी., दिल्ली	अध्यक्ष	विनि. 10(1)(क)
2	सचिव-सह-आयुक्त (श्रम)	उपाध्यक्ष	विनि. 10(1)(ख)
3	अपर श्रम आयुक्त, विषय संबंधित	सदस्य राज्य प्रतिनिधि/ संघ राज्य क्षेत्र	विनि. 10(1)(ग)
4	श्री श्याम लाल गुप्ता, उपाध्यक्ष, उद्योग नगर फैक्ट्री ओनर एसोसिएशन, जेड-101(एच-18 के सामने), उद्योग नगर, दिल्ली-110041	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ड)
5	श्री संजय भारद्वाज, महाप्रबंधक, मैसर्स डी.एल.एफ. लिमिटेड, फ्लैट सं. 118, पॉकेट सी-12, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-85	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
6	श्री एस.एन. मित्तल, पटपरगंज एफ.आइ.ई. इंटरप्राइजेज एसोसिएशन प्रतिनिधि, प्लॉट सं.-157 के सामने, पटपरगंज	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सं. वी-33(13)23/2009-स्था. IV.— क.रा.बी. (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः—

क्रम सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अंतर्गत
1	श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष	विनि. 10(1)(क)
2	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	उपाध्यक्ष	विनि. 10(1)(ख)
3	श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़	पदेन	विनि. 10(1)(ग)
4	निदेशक, क. रा. बी. सेवाएं, छत्तीसगढ़	पदेन सदस्य	विनि. 10(1)(घ)(i)
5	श्री जी. के. अग्रवाल (राष्ट्रीय सचिव, लघु उद्योग भारती) गली सं. 2, शिव मंदिर के नजदीक, फाफाडीह, रायपुर	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ङ)
6	श्री हरीश केडिया (प्रदेशाध्यक्ष, सी. जी. लघु और सहायक उद्योग संघ) मैसर्स बिलासपुर इंडस्ट्रीज, तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया, पोस्ट - तिफरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
7	श्री श्रीकांत बुद्धिया (अध्यक्ष, जिला उद्योग संघ, कोरबा) मेसर्स संजय इंडस्ट्रीज, फाइव न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजगमर रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
8	श्री सत्यनारायण अग्रवाल (एल यू बी), 41/1, कमल कुंज, नेहरू नगर(पश्चिम), भिलाई, जिला दुर्ग	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
9	श्री नरेश चौहान, (महामंत्री भारतीय मजदूर संघ) स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती बाई खण्डकर मेमोरियल ट्रस्ट, डेलाबाई सोनकर हॉस्टल के नजदीक, न्यू चंगोरभाटा, रायपुर, छत्तीसगढ़	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ङ)
10	श्रीमती मंगला जोशी, (अध्यक्ष, अर्क निशक्त कल्याण समिति, भिलाई), मकान सं. 9, पलाश, खारुन ग्रीन्स कुगदा, कुमहारी, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन-490042	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
11	श्री एल. पी. कटकवार, (महामंत्री, अ.भा.वि.म. महासंघ) 26, सुभाष नगर, कोत्रा, रायगढ़, छत्तीसगढ़	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
12	श्री जय नारायण श्रीवास्तव (बी एम एस), 108/24, गोवर्द्धन गाँधी चौक, दीवानपुर, राजनंदगाँव	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
13	क्षेत्रीय निदेशक, क. रा. बी. निगम, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव	विनि. 10(3)

पी. बी. मणि, अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./158/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018.

No. V-33(13)23/2009-E.IV.— In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Chhattisgarh State, which shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	Labour Minister, Government of Chhattisgarh	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Principal Secretary/Secretary, Labour Department, Government of Chhattisgarh,	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Labour Commissioner, Chhattisgarh	Ex-Officio	Reg. 10(1)(c)
4	Director, E.S.I Services, Chhattisgarh	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5	Sh. G.K. Aggarwal (National Secretary Laghu Udyog Bharti) Street No. 2, Near Shiv Mandir, Fafadeeh, Raipur	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
6	Sh. Harish Kediya (State President, C.G. Laghu & Sahayk Udyog Sangh) M/s Bilaspur Industries, Tifra Industrial Area, Post – Tifra, Bilaspur, Chhattisgarh	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
7	Sh. Srikant Budhiya (President, Zila Udyog Sangh, Korba) M/s Sanjay Industries, Five New Industrial Estate, Rajgamar Road, Korba, Chhattisgarh	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8	Sh. Satyanarayan Agarwal (LUB), 41/1, Kamal Kunj, Nehru Nagar (West), Bhilai, Distt. Durg	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9	Sh. Naresh Chauhan (Mahamantri Bhartiya Majdoor Sangh) Late Smt. Saraswati Bai Khandakar Memorial Trust, Near Dhelabai Sonkar Hostel, New Changorabhata, Raipur, Chhattisgarh	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10	Smt. Mangla Joshi (President, Ark Nishakt Kalyan Samiti, Bhilai), House No. 9, Palaash, Kharun Greens Kugada, Kumhaari, District – Durg, Chhattisgarh Pin – 490042	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11	Sh. L.P.Katakvaar (Mahamantri, A.B.V.M. Mahasangh) 26, Subhash Nagar, Kotra, Raigarh, Chhattisgarh	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
12	Sh. Jai Narayan Shrivastva (BMS), 108/24, Goverdhan Gandhi Chowk, Diwanpura, Rajnandgaon	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
13	Regional Director E.S.I. Corporation, Chhattisgarh	Member Secretary	Regulation 10(3)

P. B. MANI, Addl. Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./158/18]